स्वच्छता उद्यमी योजना (एसयूवाई)

नेशनल सफाई कर्मचारी फ़ाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएसकेएफ़डीसी)

सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का एक उपक्रम)

एनटीएससी, तीसरा तल, ई ब्लॉक एनएसआईसी ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट-III, नई दिल्ली-110020

टेलीफ़ोन न. 011-26382476/78, फ़ैक्स - 011-26382479

ई-मेल: nskfdc-msje@nic.in **वैबसाइट:** www.nskfdc.nic.in

1. **एनएसकेएफ़डीसी:**

नेशनल सफाई कर्मचारी फ़ाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएसकेएफडीसी) भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक शीर्ष निगम है जोकि सफाई कर्मचारियों, कचरा बीनने वालों, मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कार्यरत है। यह अपनी चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न आय अर्जित करने वाली गतिविधियों के लिए रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एनएसकेएफडीसी अपने लक्षित समूह को विभिन्न पाठ्यक्रमों में रोजगार से जुड़े अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ साथ सफाई कर्मचारियों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण भी प्रदान करता है एवं कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है।

2. **स्वच्छता उद्यमी योजना (एसयूवाई):**

एनएसकेएफडीसी स्वच्छता और सफाई कर्मचारियों और लिबेरटेड मैनुअल स्केवेंजेर्स को स्थायी आजीविका प्रदान करने के दोहरे उद्देश्य साथ स्वच्छता उद्यमी योजना (एसयूवाई) का क्रियान्वयन कर रहा है। एनएसकेएफडीसी अपनी स्वच्छता उद्यमी योजना (एसयूवाई) के तहत स्वच्छता संबंधी उपकरणों/वाहनों की खरीद और संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को पूर्णतया मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता संबंधी उपकरणों/वाहनों की खरीद तथा विभिन्न म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गतिविधियों हेतु कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किया जाता है।

एसयूवाई के तीन व्यापक कार्यान्वयन मॉडल निम्नानुसार हैं:

ए) एनएसकेएफडीसी की चैनेलाइजिंग एजेंसियों (सीए) के माध्यम से लक्ष्य समूह को वित्तीय सहायता: निम्नलिखित विवरण के अनुसार रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है: -

योजना का नाम	अधिकतम परियोजना लागत	ब्याज की दर		पुनर्भुगतान की अवधि
		माध्यम अभिकरणों के लिए	लाभार्थियों के लिए	
व्यक्तिगत/ स्वयं सहायता समूह/ संयुक्त सहायता समूह /सहकारी)	रूपये 15 लाख (व्यक्तिगत) रूपये 50 लाख (स्वयं सहायता समूह/ संयुक्त सहायता समूह /सहकारी)	2 प्रतिशत सालाना	4 प्रतिशत सालाना	अधिकतम 7 साल

ब्याज की रियायती दरों के अलावा, लक्ष्य समूह के लिए एसआरएमएस योजना के तहत मशीनीकृत सफाई उपकरणों/वाहनों की खरीद के लिए निम्नलिखित के अनुसार पूंजीगत सब्सिडी भी प्रदान की जाती है:

परियोजना लागत की सीमा (रु.)	कैपिटल सब्सिडी
व्यक्तिगत के लिए :	
रुपये 5 लाख अधिकतम	परियोजना लागत का 50 प्रतिशत
रुपये 5,00,000 से रुपये 15,00,000	रुपये 2.50 लाख + 5,00,000 से ऊपर परियोजना लागत का 25 प्रतिशत
समूह परियोजना के लिए:	
अधिकतम परियोजना लागत रुपये 50 लाख के साथ प्रति लाभार्थी रुपये 10 लाख तक सीमित।	व्यक्तिगत पूंजीगत सब्सिडी के अनुसार रुपये (अधिकतम 3.75 लाख प्रति लाभार्थी)

<u>एसआरएमएस योजना के तहत ब्याज अनुदान:</u>

इसके अलावा, योजना के तहत निर्धारित ब्याज दर (रु.1.00 लाख से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 6% प्रति वर्ष) के ऊपर बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज हेतु ब्याज अनुदान भी एसआरएमएस योजना के तहत दिया जाता है।

बी) शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को वित्तीय सहायता: एनएसकेएफडीसी नीचे दिए गए विवरण के अनुसार स्वच्छता उद्यमी योजना के तहत यूएलबी को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है:

i) **स्वच्छता से संबंधित उपकरणों/वाहनों के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को रियायती दरों पर ऋण:** मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने के लिए, एनएसकेएफडीसी शहरी स्थानीय निकायों को भी रियायती ब्याज दरों पर स्वच्छता संबंधी उपकरणों/वाहनों की खरीद के लिए निम्नानुसार ऋण प्रदान कर रहा है:-

प्रति यूनिट लागत	लाभार्थी प्रोफ़ाइल	ब्याज दर	एनएसकेएफ़डीसी का अंश	शहरी स्थानीय निकायों का अंश	पुनर्भुगतान की अवधि
अधिकतम रूपये 50 लाख (यूनिट की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है)	नगर निगम*	4 प्रतिशत * (इसके अलावा, समय पर भुगतान के लिए 1% छूट)	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत	अधिकतम 7 साल तक

*नगर निगमों/नगर पालिकाओं/जल बोर्डों/सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग/छावनी बोर्डों/रेलवे आदि

इसके अतिरिक्त स्थानीय शहरी निकाय एनएसकेएफडीसी की चैनेलाइजिंग एजेंसियों (सीए) के माध्यम से भी स्वच्छता संबंधी उपकरणों/वाहनों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

ii) **म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गतिविधियों के लिए यूएलबी को रियायती दरों पर ऋण:** एनएसकेएफडीसी विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों जैसे नगरपालिका ठोस कचरा प्रबंधन, भुगतान और उपयोग सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, कचरे से खाद इकाइयों, कचरा संग्रहन और पृथक्करण इकाइयों आदि के लिए एसबीएम दिशानिर्देशों के अंतर्गत केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध राशि के अतिरिक्त परियोजना राशि (गैप फंडिंग) यूएलबी को रियायती ब्याज दरों पर ऋणस्वरूप प्रदान करता है। इसके लिए दिशानिर्देश निम्नानुसार होंगे:

गतिविधियां	लाभार्थी प्रोफ़ाइल	ब्याज दर	एनएसकेएफ़डीसी का अंश	पुनर्भुगतान की अवधि
विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों जैसे नगरपालिका ठोस कचरा प्रबंधन, भुगतान और उपयोग सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, कचरे से खाद इकाइयों, कचरा संग्रहन और पृथक्करण इकाइयों आदि।	यूएलबी *	6%* (समय पर भुगतान के लिए 1% छूट)	एनएसकेएफडीसी का हिस्सा: कुल परियोजना लागत - (एसबीएम के अंतर्गत केंद्रीय सहायता + राज्य द्वारा प्रदान की गयी राशि) प्रति यूनिट 50 लाख रुपये तक की अधिकतम सीमा के अधीन।	7 साल तक

*नगर निगमों/नगर पालिकाओं/जल बोर्डों/सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं इंजीनियरिंग विभाग/छावनी बोर्डों आदि सहित यूएलबी।

सी) निजी एजेंसियों/ठेकेदारों को रियायती दरों पर ऋण: कई शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) अपने सफाई कार्यों के प्रबंधन के लिए निजी एजेंसियों/ठेकेदारों को नियुक्त करते हैं, एनएसकेएफडीसी अपनी चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से ऐसी एजेंसियों को भी रियायती ऋण प्रदान कर रहा है जिसका विवरण नीचे है:-

योजना का नाम	**अधिकतम लागत (तक)**	**माध्यम अभिकरणों के लिए**	**ब्याज दर**	**पुनर्भुगतान की अवधि**
नगर निगम/नगर पालिकाओं/जल बोर्डों/सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं इंजीनियरिंग विभाग/छावनी बोर्ड/रेलवे आदि सहित यूएलबी द्वारा नियुक्त निजी एजेंसियां/ठेकेदार।	रु. 50.00 लाख प्रति यूनिट (इकाई की संख्या 1 से अधिक हो सकती है)	3% प्रति वर्ष	6% (समय पर भुगतान के लिए 1% छूट)	7 साल तक

3. **एसयूवाई के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के साथ संयुक्त प्रयास:** सीवरों/सेप्टिक टैंकों की मैन्युअल जोखिम भरी सफाई के दौरान होने वाली मौतों और संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एवम सीवरों और सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने के लिए, एनएसकेएफडीसी उपयुक्त मशीनीकृत सफाई उपकरणों/वाहनों की खरीद और प्रयोग के लिए शहरी स्थानीय निकायों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

   सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता उद्यमी के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कदम इस प्रकार हैं: -

सफाई कर्मचारियों/आश्रितों को नियमित मशीनीकृत सफाई कार्य उपलब्ध कराने की संभावना

↓

मशीनीकृत सफाई के लिए दीर्घकालीन कार्य आश्वासन पत्र प्रदान कर सफाई कर्मियों को लाभार्थी के रूप में नामांकित करना

↓

यूएलबी द्वारा प्रयास जिसके परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा ऋण की मंजूरी दी जाती है

↓

बैंक एनएसकेएफडीसी से पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त करते हैं और उपकरणों/वाहनों की खरीद के लिए कुल धनराशि (ऋण और पूंजीगत सब्सिडी सहित) वितरित करते हैं

↓

लाभार्थियों द्वारा उपकरणों/वाहनों की खरीद और यूएलबी के साथ समन्वय में काम शुरू करना

↓

लाभार्थियों द्वारा ऋण की नियमित भुगतान

इस संबंध में यूएलबी से संबंधित कार्रवाई योग्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

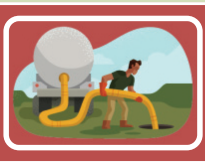

सीवर सेप्टिक टैंक सफाई प्रक्रिया का आकलन और प्रक्रिया के पूर्ण मशीनीकरण को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपकरणों/वाहनों की आवश्यकता।

संबंधित स्वच्छता उद्यमी योजना के लाभार्थी के रूप में यूएलबी से सफाई कर्मचारियों/आश्रितों को नामित करना।

एनएसकेएफडीसी के लक्षित समूह को दीर्घकालीन एवं सुनिश्चित मशीनीकृत सफाई कार्य प्रदान करना तथा **कार्य आश्वासन पत्र** प्रदान कर उन्हें अनुमोदित सेवा प्रदाताओं के पैनल में शामिल करना।

नगर पालिका द्वारा आवेदक को देय भुगतानों से ईएमआई की कटौती करने और उसे बैंक को प्रेषित करने की व्यवस्था ताकि बैंकर का उन्हें उधार देने में विश्वास बढ़े।

लाभार्थियों को ऋण के प्रावधान के लिए एनएसकेएफडीसी के बैंकर/चैनल एजेंसी के साथ संपर्क में सहायता। सुनिश्चित कार्य के संबंध में आश्वासन पत्र बैंकर को प्रदान किया जा सकता है।

4. एसयूवाई के तहत मशीनीकृत सफाई उपकरणों की खरीद के लिए यूएलबी को ऋण:

ऋण की स्वीकृति और जारी करने की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी:

ए) योजना को लागू करने के लिए एनएसकेएफडीसी और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के बीच एमओए निष्पादित किया जाएगा।

बी) एनएसकेएफडीसी को धन की मंजूरी और रिलीज के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

ग) स्वीकृत धनराशि निम्नलिखित के अनुपालन पर जारी की जा सकती है:

- स्वीकृत उपकरणों के लिए 'खरीद आदेश/आशय पत्र' प्रस्तुत करना और
- यूएलबी द्वारा प्रदान किए गए पुनर्भुगतान के लिए 'ईसीएस' की मंजूरी।
- योजना के तहत 'निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए धन के उपयोग के संबंध में आवश्यक एफ़िडेविट' प्रस्तुत करना

5. हैंडहोल्डिंग एजेंसियां:

एनएसकेएफडीसी ने स्वच्छता से संबंधित उद्यम शुरू करने के लिए उपयुक्त लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया में मदद करने एवं सुनिश्चित और दीर्घकालिक मशीनीकृत सफाई कार्य के प्रावधान के लिए यूएलबी के साथ संपर्क करने में तथा बैंको से ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहयोग के लिए कुछ हैंडहोल्डिंग एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है ।

6. संपर्क विवरण:

एसयूवाई योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया www.nskfdc.nic.in पर जाएं। इसके अतिरिक्त आप श्री के.के. भगत, सहायक महाप्रबंधक (परियोजना) से 9540767594, krishna-nskfdc@nic.in एवम श्री एस के गुप्ता, उप – प्रबन्धक (परियोजना) से 9958787202, sandeep-nskfdc@nic.in पर इस संबंध में संपर्क कर सकते हैं।

आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले मशीनीकृत सफाई उपकरणों/वाहनों की सांकेतिक सूची:

उपकरण / वाहनों का नाम	उद्देश्य	क्षमता	चित्र
सीवर लाइन की सफाई बकेटिंग मशीन	यह मशीन नालियों या पाइपों के रास्ते में बाधा को साफ करने के लिए उपयुक्त है क्योंकि ये मजबूत रूप से निर्मित और अत्यधिक कुशल हैं।	3000-4000 लीटर	
जेटिंग मशीन	जेटिंग मशीन का उपयोग सीवर लाइनों की रुकावट / चोकिंग को साफ करने के लिए उच्च क्षमता वाले जेट थ्रो लिक्विड के द्वारा किया जाता है जो इसके ताजे पानी के टैंक में स्टोर होता है।	500-15000 लीटर	
सक्शन मशीन (गली एम्प्टीयर)	गली एम्प्टीयर सेसपिट, सेसपूल और मैनहोल कक्षों को खाली करने के साथ-साथ भूमिगत जल निकासी, सीवर लाइनों आदि के लिए एक उन्नत तकनीक है।	3000-5000 लीटर	

संयुक्त मशीन (जेटिंग कम सक्शन)	ये ट्रक माउंटेड और ट्रेलर माउंटेड सक्शन-कम-जेटिंग मशीन हैं। इन उपकरणों का उपयोग सीवर पाइपलाइनों से रुकावटों को हटाने और गली के गड्ढों और सेप्टिक टैंकों को खाली करने के लिए किया जाता है।	3000-5000 लीटर से भिन्न हो सकता है	
डीप सक्शन कंबाइंड मशीन (जेटिंग कम सक्शन मशीन)	यह उपकरण 200-1000 मिमी व्यास की सीवर लाइनों में कुशलता से काम करने में सक्षम है। मैनहोल कक्षों, सीवर और तीव्र जल निकासी लाइनों, सेप्टिक/खराब पानी को एकत्रित करने के टैंक और गली गड्ढों से उच्च वैक्यूम के तहत जेटिंग कम सक्शन मशीन के मल संग्रह टैंक में तरल और ठोस अपशिष्टों को अलग करना और इसे गुरुत्वाकर्षण/ सकारात्मक दबाव/मल टैंक की टिपिंग के तहत खाली करने के लिए किसी भी वांछित निपटान स्थल पर ले जाना।	स्वच्छ पानी और डीस्लजिंग की कई बड़ी क्षमताओं में	
मैनुअल हैंड ऑपरेटेड ग्रैब बकेट	ग्रैब बकेट एक ऐसा उपकरण है जो जबड़े की प्लेट को खोलकर और बंद करके भारी या लंबी सामग्री को पकड़ और हटा सकता है	-	

नेल्लोर नगर निगम के अंतर्गत श्री भिंडे, श्रीमती आशा और श्री कलावेंकटेश्वरलु द्वारा खरीदा गया डीस्लजिंग वाहन (3LC)

इंदौर नगर निगम के अंतर्गत श्रीमती दीपाली द्वारा खरीदा गया डीवाटरिंग टैंकर।

रांची नगर निगम के अंतर्गत महिला लाभार्थी द्वारा खरीदा गया डीस्लजिंग वाहन।

गुंटूर नगर निगम के अंतर्गत श्री अडुरी सुब्बाराव द्वारा खरीदी गई पावर रॉडिंग

नेशनल सफाई कर्मचारी फ़ाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएसकेएफ़डीसी)

सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का एक उपक्रम)

एनटीएससी, तीसरा तल, ई ब्लॉक एनएसआईसी ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट-III, नई दिल्ली-110020

टेलीफ़ोन न. 011-26382476/78, फ़ैक्स - 011-26382479

ई-मेल: nskfdc-msje@nic.in वैबसाइट: www.nskfdc.nic.in